न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

एल0सी0 वाद संख्या–01/2020–2021

बबन यादव वनाम प्रताप यादव वैगरह

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
		अभिलेख उपस्थापित। वाद की कार्यवाई बबन यादव पिता स्व0 बेलास यादव द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारंभ की गई है। वाद की कार्यवाई प्रारंभ से पूर्व ही केवाला में दर्ज विक्रय राशि के बराबर राशि चालान सं0 जी0आ0एन0 200165987 दिनांक 17.08.2020 के द्वारा 51000/– तथा इस प्रतिशत अधिक चालान सं0 जी0आर0एन0 2001651089 दिनांक 17.08.2020 द्वारा रू0 5100/– प्रथम पक्ष द्वारा जमा कर रसीद संलग्न किया गया है। वाद की कार्यवाई में प्रथम पक्ष के आवेदन को अंगीकृत करते हुए पूर्व में ही नोटिश निर्गत किया गया है। जिसके उपरांत कार्यवाई के दौरान उभय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष को लिखित रूप में तथा तर्क के माध्यम से रखा गया है। प्रथम पक्ष कथन है कि विपक्षी सं0 3 मनझरीया कुवंर पति मुंशी यादव जो ग्राम खुर्री की निवासी है के द्वारा इस वाद में अंकित 4.16ए0 भूमि जो ग्राम खुर्री में स्थित है को रजिस्ट्री केवाला 9 जुलाई 2008 को विक्री कर दिया गया जिसे विपक्ष सं0 प्रताप यादव एवं अखलेश यादव ने क्रय किया। इस विक्री भूमि के सभी प्लौट में आवेदक के स्व0 पिता बेलाश यादव की भूमि पड़ती है क्योंकि ये हिस्सेदार है। विक्री भूमि के सरैयत वर्तमान में प्रथम पक्ष है। आवेदक के पृतक भूमि प्लॉट सं0 136 जिसके द0 में प्रथम पक्ष के पिता का नाम केवाला में अंकित है। उसके ठीक दक्षिण तरफ सटे प्लौट सं0 137 के उतर में तथा प्लॉट सं0 141 पूर्व में तथा अन्य प्लॉट 563, 227, 490, 491, 493, 494, 1034, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 और खाता 97 का प्लौट नं0 30 का रकबा 1.24ए0 बेलाश महतो के भूमि के बगल की भूमि है। जितनी भी नीज चौहदी की भूमि है वह बेलाश यादव प्रथम पक्ष के स्व0 पिता की चौहदी है। विपक्षी ने जो केवाला किया है उसमें नीज का अर्थ प्रथम पक्ष है। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया है कि बेलाश महतो, नायक महतो तथा मुंशी महतो भाई हुए। विक्री की गई हिस्सा मुंशी महतो की पत्नी द्वारा विक्री की गई है। स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष के स्व0 पिता बेलास महतो सभी भूमि प्लॉट में 1/3 के हिस्सेदार है स्पष्ट है कि चौहदीदार रैयत है। प्रथम पक्ष का कथन है कि भूमि जिस किमत में विक्री की गई है उतना राशि तथा अधिक 10 प्रतिशत द्वारा जमा कर दिया जाता है जिसे भूमि प्रथम पक्ष को रजिस्ट्री विक्रीनामा कर द्वितीय पक्ष क्र0 1,2 प्राप्त कर लें जैसा कि बिहार लैण्ड रिफार्म एक्ट की धारा 16(3)(1) में प्रावधान है। प्रथम पक्ष का कथन है कि वाद दाखिल करने में जो विलम्ब हुई है धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत शांत करते हुए एवं प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल रूलिंग 1. माननीय उच्चतम न्यायालय	

समक्ष डी0राजु राजु सिविल अपील नं0 7977 वर्ष 2003 2. माननीय उच्च न्यायालय बाम्बे समक्ष विभाकंकन बाड़ी लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 5 सेकेन्ट अपील सं0 931 वर्ष 2018 आदेशपारीत दिनांक 05.02.2019 3. माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड समक्ष अमिताभ कुमार गुप्ता एम0ए0नं0 214 वर्ष 2015 आदेशपारित 4.5.16 के अध्यन्नपरांत वाद में अंकित भूमि प्रथम पक्ष को रजिस्ट्री केवाला निष्पादन हेतु द्वितीय पक्ष क्र0 1,2 को आदेश दिया जाय की प्रार्थना की गई है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि वाद का विषय वस्तु निबंधित केवाला सं0 5462/5441 दिनांक 09.07.2008 से संबंधित है जिसे विक्रेता मसोमात मझरिया कुवंर पति स्व0 मुंशी यादव ने क्रेता प्रताप यादव व अखिलेश यादव के पक्ष में निष्पादित किया है। उक्त विषय वस्तुवाला केवाला 9.7.2008 को निबंधित हुआ तथा सिलिंग वाद 20.08.20 को दाखित किया गया जो निश्चित रूप से बिहार लैण्ड सिलिंग अधिनियम 1961 की धारा 16(3)(1) के अर्न्तगत निर्धारित समय सीमा अवधि के बाहर है इनका कथन है कि तीन माह के अन्दर ही वाद दाखिल करने की समय सीमा है। जो बहुत विलंब से दाखिल किया गया है। विषय वस्तु वाली भूमि खाता नं0 104 जिसमें विभिन्न प्लॉटे है नया सर्वे खतियान आवेदक एवं विपक्ष क्रेता एवं विक्रेता सभी के पूर्वज बेलास महतो, नायक महतो एवं मुंशी महतो तीनो पिता हलखोरी महतो के नाम से अंश समान दर्ज है यानि सभी पक्षकार एक ही वंश के वंशज है इनके द्वारा तीनो रैयतो की वंशावली अपने जवाब के पैरा नं0 4 में दिया गया है जिसके अनुसार 1. बेलास महतो के पुत्र प्रथम पक्ष बबन यादव को बताया गया है। 2. नायक यादव का वंशज किसी को नहीं बताया गया है तथा 3. मुशी यादव की पत्नी मंझरिया कुवंर (विक्रेता) को बताया गया हे जिसके दो पुत्री 1. जगीया देवी 2. सुकली देवी को बताया गया है। इनका न्यायालय से अनुरोध हे कि उपरोक्त तथ्य एवं कानून दोनो के परिशिलन से स्पष्ट है कि संबंधित केवाला की भूमि पर सिलिंग अधिनियम की धारा 16(3) लागू नहीं होता है जो खारीज के योग्य है।

अंचल अधिकारी चिनियां द्वारा पत्रांक 51 दिनांक 07.03.2022 द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार ग्राम खुरी के हाल सव्रे खतियान के खाता सं0 104 प्लॉट 563, 136, 137, 140, 141, 327, 490, 491, 493, 494, 1034, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 रकबा क्रमशः 0.51ए0, 1.23ए0, 1.46ए0, 0.02ए0, 1.56ए0, 1.03ए0, 0.05ए0, 0.83ए0, 0.40ए0, 0.12ए0, 0.62ए0, 0.04ए0, 0.08ए0, 0.16ए0, 0.06ए0, 0.65ए0 कुल 8.82ए0 बेलास महतो, नायक महतो, व मुशी महतो पिता हलखोरी महतो अंश समान के नाम से दर्ज है एवं हाल खाता 121 प्लॉट 1354, 1355, 1360, 134 रकबा क्रमशः 0.18, 0.12, 0.05, 2.64ए0 कुल 2.99ए0 मुशी महतो के नामे रैयती दर्ज है। द्वितीय पक्ष प्रताप यादव व अखिलेश यादव पिता टिरबिरी यादव द्वारा केवाला सं0 5441 दिनांक 09.07.2008 द्वारा मंझरिया कुंवर पति स्व0 मुंशी यादव से क्रय भूमि ग्राम खुर्री के खाता सं0 104 प्लॉट 563 रकबा $0.17\frac{1}{3}$, 136 रकबा 0.41ए0, प्लॉट 137 रकबा $0.48\frac{2}{3}$ ए0 प्लॉट 141 रकबा 0.52ए0 प्लॉट 327 रकबा $0.34\frac{1}{3}$ ए0, प्लॉट 490 रकबा $0.01\frac{1}{3}$ ए0 प्लॉट 491 रकबा $0.27\frac{2}{3}$ ए0 प्लॉट 493 रकबा $0.13\frac{1}{3}$ ए0

प्लॉट 494 रकबा 0.04ए0, प्लॉट 1034 रकबा $0.20\frac{2}{3}$ ए0, प्लॉट 1346 रकबा $0.01\frac{1}{3}$ ए0, प्लॉट 1347 रकबा $0.02\frac{2}{3}$ ए0, प्लॉट 1348 रकबा $0.05\frac{1}{3}$ए0, प्लॉट 1349 रकबा 0.02ए0, प्लॉट 1350 रकबा $0.21\frac{2}{3}$ ए0, खाता 97 प्लॉट 30 रकबा 1.24ए0 कुल 4.16ए0 है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि मंझरिया कुवंर द्वारा भूमि प्रताप यादव एवं अखिलेश यादव को केवाला सं0 541 दिनांक 09.07.2008 द्वारा विक्री किया गया है उसके खतियानी रैयत प्रथम पक्ष के पिता बेलाश यादव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्री भूमि के हर प्लॉट के साथ प्रथम पक्ष का भूमि रैयती बगल में ही है इसलिए यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष बबन यादव हर विक्री प्लॉट के चौहदी में आते हे। सभी पहलु पर बिचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि बिहार लैण्ड रिफार्म एक्ट की धारा 16(3)(1) के अनुसार यह भूमि क्रय करने का पहला हक प्रथम पक्ष को था। इसके लिए प्रथम पक्ष द्वारा भूमि का विक्री केवाला में दर्ज विक्री की राशि को चालान के माध्यम से जमा भी कर दिया गया है। तथा नियमानुसार दश प्रतिशत अधिक भी जमा किया जा चुका है। अतः न्यायालय प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत करते हुए केवाला सं0 5441 दिनांक 09.07.2008 द्वारा प्रताप यादव एवं अखिलेश यादव की क्रय भूमि प्रथम पक्ष बबन यादव को निबंधित केवाला द्वारा एक माह में हस्तांरित करने एवं राशि जो भूमि की किमत के रूप में जमा है का भुगतान प्राप्त कर लें का ओदश दिया जाता है।

25.2.22

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।

Digitally signed by PARMESH KUSHWAHA
Date: 2023.11.26 15:51:54 +05:30
Location: 192.168.238.59